



फाइल सं.: GEN/2242/2026-ASO JNCH

दिनांक : 15-06-2026

परिपत्र/CIRCULAR

सभी संबंधितों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मूल्यांकक (Appraisers) एवं परीक्षक (Examiners) के ग्रेड में स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति, दिनांक 03.07.2019 के स्थायी आदेश सं. 15/2019 एवं दिनांक 30.07.2019 के स्थायी आदेश सं. 16/2019 द्वारा शासित है, जिसे दिनांक 12.07.2022 के स्थायी आदेश सं. 07/2022 द्वारा संशोधित किया गया है। मूल्यांकक एवं परीक्षक ग्रेड के लिए वर्ष 2026 की वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (AGT) आदेश, अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, P&E, NCH, मुंबई-I द्वारा स्थापना आदेश सं. 87/2026 एवं 88/2026 दिनांक 11.06.2026 के माध्यम से जारी किए गए हैं। मूल्यांकक एवं परीक्षक ग्रेड में वर्ष 2026 हेतु JNCH के अंतर्गत वार्षिक अंतः-क्षेत्रीय स्थानांतरण आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने हैं।

All concerned are hereby informed that the transfer and posting policy in the grade of Appraisers and Examiners is governed by Standing Order Nos. 15/2019 dated 03.07.2019 & 16/2019 dated 30.07.2019 as amended vide Standing Order No. 07/2022 dated 12.07.2022. Annual General Transfer for the year 2026 in the grade of Appraisers and Examiners have been issued vide Establishment Orders No. 87/2026 & 88/2026 dated 11.06.2026 by Addl. Commissioner of Customs, P&E, NCH, Mumbai-I. Annual Intra-Zonal Transfers at JNCH for the year 2026, in the grade of Appraisers & Examiners are due to be issued shortly.

2. अतः, वे मूल्यांकन अधिकारी एवं परीक्षण अधिकारी, जो पहले से JNCH में पदस्थ हैं तथा वे अधिकारी जिन्हें AGT-2026 के अंतर्गत JNCH में पदस्थ किया गया है, यदि किसी विशिष्ट पदस्थापन हेतु अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे अपना अभ्यावेदन इस अनुभाग को इस परिपत्र जारी करने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यावेदन jnch-aso@gov.in पर भी (केवल आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से) ई-मेल किया जा सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Therefore, Appraising Officers and Examining Officers, who are already posted in JNCH and officers who are posted to JNCH vide AGT-2026, who wish to submit their representations for any specific posting may submit their representation to this section within 7 days from the issuance of this circular. The representations may also be emailed to jnch-aso@gov.in (through official email ID only). Representations submitted after the due date will not be considered.

3. यह ध्यान दिया जाए कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने मात्र से उसके स्वीकार किए जाने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सभी अभ्यावेदनों का निर्णय गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। यह भी स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी का पदस्थापन उसका अधिकार अथवा पसंद का विषय नहीं है, बल्कि विभाग के सुचारु संचालन हेतु एक प्रशासनिक व्यवस्था है।

It may be noted that submission of a representation does not guarantee its acceptance; as all representations shall be decided on merit. It is also clearly informed that the posting of a Government servant is not a matter of right/ choice but an administrative arrangement

to run the department smoothly.

4. यह परिपत्र सीमा शुल्क आयुक्त, एनएस-जनरल, जेएनसीएच की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Commissioner of Customs, NS-General, JNCH.

(भरतलाल मीणा)
सहायक आयुक्त/ Asst. Commissioner
ए.एस.ओ. अनुभाग/ ASO Section,
जेएनसीएच, न्हावा शेवा/ JNCH, Nhava Sheva

प्रतिलिपि : ईडीआई, जेएनसीएच को, जेएनसीएच की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Copy to : EDI, JNCH for uploading on JNCH website.